

राजस्थान सरकार
निवालय कौष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक— एफ 2 (ग) (एसीपी)/ 1992-ा/अलेसे-।/ 1230-3।

दिनांक— 30.04.2013

कार्यालय आदेश संख्या ३५/2013-14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प 11(7) एफडी/रॉल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(68)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री सुरेन्द्र कुमार करोड़िया, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 03.03.1971 है तथा जिन्होने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 21.02.1995 को कार्यप्रण किया था। इन्होने 18 वर्ष की राजकीय सेवा निस्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, को दिनांक 21.02.2013 से लेखाकार के पद का हितीय एसीपी पीबी-2, 9300-34800 पै—बैण्ड एवं रुपये 4800/- ग्रेड पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार करोड़िया, सहायक लेखाधिकारी के व्यार्थिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14 (68) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार करोड़िया, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(68)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुरितिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी एसीपी, स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे हैं।



निदेशक

क्रमांक— एफ 2 (ग) (एसीपी)/ 1992-ा/अलेसे-।/ 1230-3।

दिनांक— 30.04.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष— सहायक शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- श्री सुरेन्द्र कुमार करोड़िया, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय— सहायक शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सहायक निदेशक महोदय।
- निजी पत्रावली/गार्ड फार्म/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (विवराइट हेतु)।


अतिरिक्त निदेशक (कार्यिक- I)